संख्या-पी-170 /14-2-2018-800 (178)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 31 दिसम्बर 2018

विषय:- जनपद जौनपुर में बी0एस0एन0एल0 वाराणसी द्वारा दुद्धी-लुम्बनी मार्ग किमी0 240 से 243 तक बांयी पटरी पर तथा किमी0 243 से 258 तक दायी पटरी पर ओ0 एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु 0-5406 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-947/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/ 33250/2018, दिनांक 02-11-2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत जनपद जौनपुर में बी0एस0एन0एल0 वाराणसी द्वारा दुद्धी- लुम्बनी मार्ग किमी0 240 से 243 तक बांयी पटरी पर तथा किमी0 243 से 258 तक दायी पटरी पर ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु 0-5406 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में सामान्य स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

(1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
(2) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
(3) ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 1.65 मीटर गहरी एवं 0.45 मीटर चौड़ी से अधिक न होगी।
(4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
(5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
(6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
(7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
(8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
(10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
(11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

Scanned by CamScanner